



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 30 अप्रैल, 2025

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना अरनिया

मोटर चोरी की घटना में वांछित बदमाशों के साथ थाना अरनिया पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में 01 बदमाश घायल/मृत्यु में अपने 01 अन्य साथी सहित गिरफ्तार कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, 03 मोटर(चोरी की), मोटर चोरी करने के उपकरण व ऑटो रिक्शा बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 29/30.04.2025 की रात्रि को थाना अरनिया पुलिस टीम बड़ा गाँव फ्लाईओवर के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रही थी उसी समय ग्राम बड़ा गाँव की तरफ से एक संदिग्ध ऑटो व उसके आगे 01 बाइक आती हुई दिखाई दी जिनको रूकने का इशारा किया गया, नहीं रुके बल्कि ऑटो व बाइक सवार बदमाश अपने वाहनों को वापस बड़ा गाँव की तरफ लेकर भागने का प्रयास करने लगे। वापस भागने की जल्दबाजी में ऑटो पेड़ से टकरा गया जिसपर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश शहजाद पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसको अपने 01 अन्य साथी सहित गिरफ्तार किया गया। एक बाइक सवार बदमाश अँधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा जिसकी कॉम्बिंग कर गिरफ्तारी करने के लिए आरटी-सेट द्वारा जनपद के सभी थानों को सूचना दी गयी। घायल बदमाश की पहचान शहजाद पुत्र अकबर निवासी ग्राम कलौंदा थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर (घायल) एवं गिरफ्तार बदमाश की पहचान तरीकत पुत्र अशफाक खाँ निवासी ग्राम भुल्लनगढ़ी थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर के रूप में हुई है। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, 03 मोटर(चोरी की), मोटर चोरी करने के उपकरण व ऑटो रिक्शा बरामद हुआ है।

उल्लेखनीय है कि उक्त बदमाश शांतिर किस्म के चोर हैं। जिनके द्वारा जनपद के भिन्न-भिन्न थाना क्षेत्रों में टयूबवेल से मोटर/तार चोरी करने की घटना कारित की गयी है। जिनके गिरफ्तारी के निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम पता-

1. शहजाद पुत्र अकबर निवासी ग्राम कलौंदा थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर(घायल)
2. तरीकत पुत्र अशफाक खाँ निवासी ग्राम भुल्लनगढ़ी थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 02 तमंचे 315 बोर, 01 जिंदा, 01 खोखा कारतूस।
- 2- 01 ऑटो रिक्शा
- 3- 03 मोटर (चोरी की)
- 4- मोटर चोरी करने के उपकरण

अभियुक्त शहजाद का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 127/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनियाँ जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 31/2023 धारा 379/411 भादवि थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 42/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना अहमदगण जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 45/23 धारा 379/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 85/23 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 121/2020 धारा 457/380/411 भादवि थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 122/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं- 130/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं- 297/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।
11. मुअसं- 143/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0नगर जनपद बुलन्दशहर।
12. मुअसं- 605/19 धारा 379/411 भादवि थाना को0नगर जनपद बुलन्दशहर।
13. मुअसं- 68/23 धारा 379/411 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
14. मुअसं- 69/23 धारा 379/411 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
15. मुअसं- 43/23 धारा 379/411 भादवि थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।

16. मुअसं- 54/23 धारा 380/411 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
17. मुअसं- 29/23 धारा 379 भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
18. मुअसं- 10/25 धारा 305(1)/331(4)/317(2)बीएनएस थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त तरीकत का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 81/23 धारा 302/201/34 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मु0अ0सं0 237/23 धारा 25/3/4 आर्म्स एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
3. मु0अ0सं0 127/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
4. मु0अ0सं0 .../25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
5. मु0अ0सं0 10/25 धारा 305(1)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना अरनिया पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री राजकुमार सिंह थानाध्यक्ष अरनिया।
- 2- उ0नि0 सुनील कुमार, उ0नि0 केदारनाथ राय, उ0नि0 अशोक कुमार, उ0नि0यू0टी0 नवनीता।
- 3- का0 हरिओम, का0 मोहित, का0 ललित, का0 विष्णु।



मीडिया सेल बुलंदशहर